न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या 10 / 2021
(2021 / 00012)

दायर दिनांक– 29.01.2021
फैसल दिनांक–23-02-2021

अनवान

श्रीमती सोमी पत्नि देवा भगोरा मीणा बनाम भूमिधारी जरिये तहसील सागवाडा।
निवासी गामडा ब्राहम्णीया तहसील सागवाडा।

वाद अन्तर्गत एल0 आर0 एक्ट 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया / वादीया सोमी पत्नि देवा भगोरा निवासी गामडा ब्राहम्णीया द्धारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा गामडा ब्राहम्णीया के खसरा नम्बर 215 रकबा 1.12 बीधा भूमि हाजु पिता लालु भील से क्रय कर नामान्तरकरण संख्या 1299 से सोमी पत्नि देवा के नाम अमल दरामद हुई ।

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के आदेश क्रमांक –राजस्व / भु0रू0 / 06 / 1442–46 दिनांक 11.07.2006 के द्वारा खसरा नम्बर 215 रकबा 1.12 बीधा भूमि आबादी में संपरिवर्तन करवाई गई।

जिसमे नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में खातेदार सोमी पत्नि देवा भगोरा के स्थान पर बिलानाम सनदधारी आबादी दर्ज हो गया जो आदिनांक तक चल रहा है। प्रार्थीया ने इसमें संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र मय सम्परिवर्तन आदेश की प्रति, के प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की प्रकृति का होने से राजस्व वाद में दर्ज रजिस्टर किया जाकर भूमिधारी की रिपोर्ट प्राप्त की गई।

भूमिधारी / पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के क्रम मे सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

हमने प्रार्थना पत्र, भूमिधारी तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज एवं भूमिधारी तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट के अवलोकन अनुसार खसरा नम्बर 215 रकबा 1.12 बीधा भूमि खातेदार सोमी पत्नि देवा भगोरा (भील)के स्थान पर नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में बिलानाम सनदधारी आबादी दर्ज हो गया जो आंदिनाक चल रहा है।

Scanned by CamScanner

उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1349 से संपरिवर्तन का नामान्तरकरण खोला गया जिसमें सहवन से कॉलम संख्या 9 में प्रार्थीया का नाम सोमी पत्नि देवा भगोरा(भील) के स्थान पर बिलानाम आबादी होने की पुष्टि होती है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र/वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा गामडा ब्राहमणीया के खसरा नम्बर 215 रकबा 0.2583 हेक्टेयर में बिलानाम आबादी से संशोधीत कर खातेदार सोमी पत्नि देवा भगोरा (भील) निवासी गामडा ब्राहम्णीय साकिन देह खातेदार दर्ज किया जावे।

निर्णय अनुसार पालना हेतु तहसीलदार सागवाडा को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

क्रमांक/राजस्व/2021/203 दिनांक 23-2-2021

तहसीलदार सागवाडा

विषय :– निर्णय अनुसार पालना कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने बावत।

अनवान

श्रीमती सोमी पत्नि देवा भगोरा निवासी गामडा ब्राहम्णीया तहसील सागवाडा बनाम भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा

वाद अन्तर्गत एल0 आर0 एक्ट 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनवान के प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 23-2-21 की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः निर्णय अनुसार पालना कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

संलग्न निर्णय की प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner